

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 33(1)न्याय/81

जयपुर दिनांक: 17.03.2023

::आदेश::

राज्य के निम्न सूची के कॉलम संख्या-02 में वर्णित जिलों में स्थित श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु, सूची के कॉलम संख्या-04 में वर्णित अधिवक्ताओं को 01 वर्ष अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक पैनल लॉयर नियुक्त किया जाता है:-

जिला क्र.सं.	जिला/मुख्यालय	क्र. सं.	नाम अभिभाषक	पंजीयन क्रमांक
1	2	3	4	5
1.	अजमेर मुख्यालय	1	श्री शोभित पंत	आर/54/1991
		2	श्री गौरव उपमन्यु	आर/2327/2005
2.	भीलवाड़ा मुख्यालय	1	श्री प्रकाश चंद्र ओझा	आर/0991/2002
3.	भरतपुर मुख्यालय	1	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	आर/3009/1983
		2	श्री अभिषेक जैन	आर/799/2005
		3	श्री मनोज कुमार आवर	आर/2514/2008
		4	श्री राजेश मित्तल	आर/818/1994
		5	श्री जसवंत गुप्ता	आर/1090/2014
		6	श्री लोकेश मुद्गल	आर/275/1999
4.	धौलपुर मुख्यालय	1	श्री सुरेन्द्र मोहन शर्मा	आर/1673/2012
5.	जोधपुर मुख्यालय	1	श्री कुलविंदर सिंह ममोत्रा	आर/1121/2016
6.	करौली मुख्यालय	1	श्री शाकिर खान	आर/3447/2007
		2	श्री राम सहाय मीना	आर/1209/2013
7.	कोटा मुख्यालय	1	श्री पदम कुमार गौतम	आर/2035/2002
		2	श्री शशि प्रकाश सोरल	आर/247/1990
		3	श्रीमती शारलेट कुंजु	आर/940/2014
8.	श्रीगंगानगर मुख्यालय	1	श्री नवीन पारीक	आर/451/2000
		2	श्री जगदीश गोदारा	आर/1353/2001
9.	उदयपुर मुख्यालय	1	श्री इन्द्रकुमार भट्ट	आर/262/1976
		2	श्री पोनम सिंह राठौड़	आर/2127/2001
10.	जयपुर	1	श्री द्रोण यादव	आर/1850/2015
		2	श्री दीपेश ओसवाल	आर/1341/2015
		3	श्री तनय जैन	आर/2070/2018
		4	श्री नौरंग लाल सैनी	आर/961/1997
		5	श्री फैजलुल्लाह खान	आर/104/2011
		6	सुश्री फिरदोश खान	आर/5033/2010
		7	श्री पप्पु लाल मीना	आर/2493/2007
		8	श्री भागीरथ रैगर	आर/1970/2003
11.	बीकानेर	1	श्री कन्हैयालाल साध पुत्र श्री आशुराम साध	आर/1863/2004
		2	श्री चन्द्र मोहन शर्मा, पुत्र श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा	आर/1525/2000
12.	दौसा	1	श्री सांवल राम मीना	आर/526/2003
13.	झालावाड	1	श्री सिद्दीक खान	आर/749/1999
		2	श्री विजय कुमार जैन	आर/781/1981
14.	अलवर	1	श्री कैलाश चन्द्र बैरवा	आर/831/2007
		2	श्री रामावतार हरीजन	आर/2339/2002

शर्तें:-

1. प्रति प्रकरण 1400/-रूपये फीस एवं एक से अधिक प्रकरण में समान प्रश्न निहीत होने तथा ये प्रकरण एक साथ निर्णित होने पर एक प्रकरण के लिए 1400/-रूपये तथा शेष प्रकरणों में 550/-रूपये प्रति प्रकरण फीस देय होगी, लेकिन इन समस्त प्रकरणों की कुल फीस एक प्रकरण में देय फीस की 5 गुणा से अधिक नहीं होगी।


2. अवमानना प्रकरणों की पैरवी के लिए 700/-रुपये बतौर फीस देय होगी, किन्तु एक से अधिक अप्रार्थीगण होने पर एक ही फीस देय होगी।
3. उक्त फीस का भुगतान प्रकरण से संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा।

हो-

(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

**प्रतिलिपि:**—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम विभाग।
3. विशेषाधिकारी (जीएसवाई), मुख्यमंत्री कार्यालय।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
5. संबंधित जिला कलक्टर.....।
6. संबंधित श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण.....।
7. संबंधित अधिवक्ता.....।
8. सहायक लेखाधिकारी—I, वादकरण।
9. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव, विधि